प्रकरण संख्या 01/2020 डालचन्द बनाम मदनलाल व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
23.03.2021	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना पत्र दिनांक 23.11.2020 पर उभयपक्षों की बहस सुनी गयी। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी/रेस्पोन्डेन्ट ने बताया कि अपीलान्ट ने उपखण्ड अधिकारी गोगुन्दा के आदेश दिनांक 03.05.2018 के विरूद्ध अपील पेश की है, जबकि आप न्यायालय द्वारा इसी आदेश के विरूद्ध पूर्व में पेश की गयी अपील संख्या 40/2018 उभयपक्षों को सुनकर दिनांक 08.10.2018 को अपील खारिज की जा चुकी है एवं माननीय राजस्व मण्डल में इनकी द्वितीय अपील भी दिनांक 12.09.2019 को खारिज की जा चुकी है। अतः अपील रेस ज्यूडीकेटा से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज की जावे। अपने कथन के समर्थन में न्यायिक नजीरें आर.बी.जे. (24) 2017 पेज 117, आर.बी.जे. (25) 2018 पेज 179 एवं आर.आर.डी. 1993 पेज 720 प्रस्तुत की। उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब अभिभाषक अपीलान्ट द्वारा देते हुए बताया कि जिस पूर्ववर्ती आदेश का हवाला प्रत्यर्थी ने दिया है वह भूमि ग्राम पंचायत सिंघाडा से संबंधित होने के कारण दिया गया है, परन्तु वर्तमान में भूमि ग्राम पंचायत ब्राहमणों का कलवाना से संबंधित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 14 (4) के तहत आवंटन निरस्ती संबंधी प्रार्थना पत्र सुनने का अधिकार जिला कलक्टर को है एवं प्रकरण भी वहीं प्रस्तुत किया गया था जो कालान्तर में आप न्यायालय में स्थानान्तरित हुआ। यदि क्षेत्राधिकार का बिन्दु हो तो पुनः प्रकरण सक्षम न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जा सकता है, लेकिन इस आधार पर अपील अथवा प्रार्थना पत्र खारिज नहीं किया जा सकता, न ही यह प्रकरण रेस ज्यूडीकेटा से बाधित है। अतः प्रत्यर्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे। हमने उक्त प्रार्थना पत्र की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि न्यायालय हाजा	

Signature Not Verified
Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:31:59 IST
Reason: SelfAttested

द्वारा इसी आराजियात बाबत् प्रकरण संख्या 40/2018 में दिनांक 08.10.2018 को निर्णय पारित करते हुए अपीलान्ट की अपील खारिज की है, जिसकी द्वितीय अपील भी माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 12.09.2019 को खारिज की जा चुकी है। अपीलान्ट ने पुनः इसी आराजी बाबत् नई अपील प्रस्तुत की है, जो रेस ज्यूडीकेटा के सिद्धान्त से बाधित होने से इसी स्तर पर खारिज योग्य है।

अतः रेस्पोन्डेन्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अपील अपीलान्ट इसी स्तर पर खारिज की जाती है तथा अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 03.05.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 23.03.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एम.एल. चौहान)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by M. L Chouhan
Date: 2021.07.08 12:31:59 IST
Reason: SelfAttested